



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276401
CG-DL-E-22092026-276401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4998]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 4998]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5204(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “दिल्ली-पानीपत-अंबाला (198 कि०मी०) के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, अंबाला को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला अंबाला में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, "दिल्ली-पानीपत-अंबाला (198 कि०मी०) के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना" का निर्माण करने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे० में)
1	अंबाला छावनी	मोहरा	65//16	0.0014
2			65//25	0.0143
3			77//5	0.0234
4			77//6	0.0266
5			77//15	0.0300
6			77//17	0.0165
7			77//16	0.0097
8			77//24	0.0274
9			85//4	0.0281
10			85//7	0.0071
कुल				0.1846
1	अंबाला छावनी	शाहपुर	18//1	0.0686
2			18//10	0.1487
3			18//11/2/1	0.1019
4			18//11/2/2	0.0457
5			18//20/1/1	0.0192
6			18//20/1/2	0.0192
7			18//19/2	0.0633
8			18//19/1/1	0.0815
9			18//19/1/2	0.0815
10			18//22	0.0744
11			163	0.0229

12			28//2	0.0694
कुल				0.7963
1	अंबाला छावनी	नन्हेडा	23//1	0.0042
2			20//21	0.0171
कुल				0.0213

[फा. सं. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5204(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **“Delhi-Panipat-Ambala (198 Km) Third & Fourth Line Project”** in the **district of Ambala** in the **State of Haryana**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the **Competent Authority**, namely, **District Revenue Officer, Ambala** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely , **“Delhi-Panipat-Ambala (198 Km) Third & Fourth Line Project”** in the district **Ambala** in the state of **Haryana**.

Sl. No.	Tehsil	Village name	Khasara No.	Acquisition Area (In Hect.)
1	Ambala Cantt.	Mohra	65//16	0.0014
2			65//25	0.0143
3			77//5	0.0234
4			77//6	0.0266
5			77//15	0.0300
6			77//17	0.0165

7			77//16	0.0097
8			77//24	0.0274
9			85//4	0.0281
10			85//7	0.0071
Total				0.1846
1	Ambala Cantt.	Shahpur	18//1	0.0686
2			18//10	0.1487
3			18//11/2/1	0.1019
4			18//11/2/2	0.0457
5			18//20/1/1	0.0192
6			18//20/1/2	0.0192
7			18//19/2	0.0633
8			18//19/1/1	0.0815
9			18//19/1/2	0.0815
10			18//22	0.0744
11			163	0.0229
12			28//2	0.0694
Total				0.7963
1	Ambala Cantt.	Nanhera	23//1	0.0042
2			20//21	0.0171
Total				0.0213

[F. No. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.